

22-8-25

पत्रावली पेश हुई। वस्तुसार परिशोधन उपस्थित।
पूर्वरीखा की मासना में पत्रावली दिनांक 29/8/25
की पेश की।

Deu
जयसुन्द आचकारी
अध्यायक

29-8-25

पत्रावली पेश हुई। वस्तुसार परिशोधन उपस्थित।
प्रकरण हे संबंधित मूल वाद प्रार्थना पत्र द्वारा
जा.दी.के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः
प्रार्थना पत्र भन्वगत धारा 212 R.G.A. की खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमाइ हीकर नंबर
से कम हीकर खारिज पत्र है।

Deu
जयसुन्द आचकारी
अध्यायक

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार